लोक अदालत

प्रपत्र-

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना (झालावाड़)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट - चॉइपुरा भीकान

अधिकारी - श्री डी. डी. बाकोलिया (RAS.) उपखण्ड अधिकारी म.थाना

वादी - 1. मोती 3. गंगाराम उनवान 1. छीतर 2. रामसिंह 3. शक्ति 4. गीता

5. जीताबाई पि. घासी 5. भमरी 6. दल्लू 7. मांगीबाई वि० कालू

मोहनपुरा ..... बनाम उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना 8. सरकार जपै

वाद संख्या - 53 निगरानी ..... तहसीलदार म.थाना

दायर - 29/दाव/10

निपटारा - 25/5/16

वादी की ओर से .....×..... की व प्रतिवादी की ओर से .....×.....

इस वाद में आज तारीख 25/5/16 को ..... (नाम पीठासीन अधिकारी)

..... के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी

ग्राम मोहनपुरा तह. मनोहरथाना के खाता सं. 5 की

खाता सं. 1001 बीच आमनी मेहि वादीगण के हिस्से की 1/3 भाग

अलग खाते दर्ज करने हेतु तहसीलदार म.थाना द्वारा

धारा 18 ति 21 अनुसार विभाजन पत्र तैयार कर पेश करें।

पक्षकारान अपना-अपना वहन करें गे।

यह आज तारीख 25/5/16 को मेरे हस्ताक्षर से और

न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी
(लोक अदालत)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

( )
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
वादपत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प वादपत्र पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	